



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233776
CG-DL-E-28022022-233776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 873]
No. 873]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

का.आ. 903(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 14 और धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा नियुक्त करती है, नामतः

1. धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत नियुक्त सदस्य-

डॉ. दराक्षण अंब्रावी, सुपुत्री सैयद घ.नबी अंब्रावी, निवासी - म.सं. 51, कदीम मस्जिद लेन, लाल बाज़ार, श्रीनगर, वर्तमान में टी-13 तुलसी बाग, श्रीनगर।

2. धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के तहत नियुक्त सदस्य-

श्री सैयद मोहम्मद हुसैन, सुपुत्र सैयद गुलाम अहमद, निवासी - चिरारपोरा, परहरपोरा, सशस्त्र पुलिस पीरबाग, पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर के पीछे।

3. धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के तहत नियुक्त सदस्य-

(i) डॉ. गुलाम नबी हलीम, सुपुत्र हाजी श्री मोहम्मद सुभान, निवासी - सुरेनहाल-बटपोरा, तहसील और जिला बडगाम।

(ii) श्री सोहेल काज़मी, सुपुत्र मकबूल काज़मी, निवासी - पुंछ, वर्तमान में 4, सैटेलाइट एन्क्लेव, सुंजवान रोड, जम्मू।

4. धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के तहत नियुक्त सदस्य-

श्री नवाब दीन, जेकेएस, सुपुत्र बगार दीन, निवासी - जिला उधमपुर, वर्तमान में क्षेत्रीय निदेशक, सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख, उधमपुर।

[फा. सं. 10/9/2019-वक्फ]

सी.पी.एस. बक्शी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022

S.O. 903(E).—In exercise of the powers conferred by sections 14 and section 15 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby appoint the following persons as Members of the Waqf Board in the union territory of Jammu and Kashmir for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

1. Member appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 14-

Dr. Darakhshan Andrabi daughter of Syed Gh. Nabi Andrabi resident of H.No51, Qadeem masjid lane, Lal Bazaar, Srinagar, at present T-13 Tulsi Bagh, Srinagar.

2. Member appointed under clause (c) of sub-section (1) of section 14-

Mr. Syed Mohd Hussain son of Syed Ghulam Ahmed resident of Chirarpura Parharpura, Armed Police Peerbagh, behind Police Head Quarter, Srinagar.

3. Members appointed under clause (d) of sub-section (1) of section 14-

(i) Dr. Ghulam Nabi Haleem son of Haji Mr. Mohmad Subhan resident of Surenhall- Batpora, Tehsil and District Budgam.

(ii) Mr. Sohail Kazmi son of Maqbool Kazmi resident of Poonch, at present 4, Satellite Enclave, Sunjwan Road, Jammu.

4. Member appointed under clause (e) of sub-section (1) of section 14-

Mr. Nawab Din, JKAS, son of Baggar Din resident of District Udhampur, at present Regional Director Survey and Land Records, Udhampur.

[F. No. 10/9/2019-Waqf]

C.P.S. BAKSHI, Jt. Secy.